

फर्द अहकाम
(नियम 26)

2020/00201

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
साति उपाध्याय
निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड़
जिला सिरौही


बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

केसम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 03 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.08.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 01.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा लॉकडाउन अवधि में भायन्दर महाराष्ट्र से आबूरोड़ तक का अनुचित परिवहन पास प्राप्त कर पाली जाने की शिकायत की गई थी उस पर की गई कार्यवाही एवं ग्राम पंचायत सियावा द्वारा खसरा सं. 236 के भूखण्डों की नीलामी में बरती गई अनियमितता की शिकायत की जांच विकास अधिकारी द्वारा की गई जो उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को भेजी गई के सम्बन्ध में सूचना संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 01.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लॉकडाउन अवधि में भायन्दर महाराष्ट्र से आबूरोड़ तक का अनुचित परिवहन पास प्राप्त कर पाली जाने की शिकायत की गई थी। उस पर की गई कार्यवाही एवं ग्राम पंचायत सियावा द्वारा खसरा सं. 236 के भूखण्डों की नीलामी में बरती गई अनियमितता की शिकायत की जांच विकास अधिकारी द्वारा की गई जो उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को भेजी गई है। चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि राशि जमा होने पर अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फौसल होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही

207-8
13/8/20